



# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

## हरिद्वार-249404

संख्या: 36 / 01 / डी0आर0(डिग्री) / सेवा-2 / 2021-22

दिनांक : 23 मई, 2023

### अनर्ह घोषित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन निस्तारण की सूची

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021 की विज्ञप्ति-302 / 01 / डी0आर0(डिग्री) / सेवा-2 / 2021-22 दिनांक 30 जनवरी, 2023 के क्रम में विभिन्न विषयों (शिक्षाशास्त्र (Education), संगीत (Music), भूगर्भ विज्ञान (Geology), चित्रकला (Drawing and Painting), तथा बी0सी0ए0(B.C.A) के लिए जारी अनर्ह सूची के संबंध में अभ्यर्थियों को साक्ष्यों सहित आयोग कार्यालय में दिनांक 14 फरवरी 2023 तक प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया था, जिसके क्रम में मा0 आयोग द्वारा अनर्ह घोषित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों पर विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त अनर्ह घोषित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदनों के निस्तारण के संबंध में कारण सहित विषयवार विवरण निम्नवत् है:-

#### 1. संगीत (Music)

क्र0स0	अनुक्रमांक	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)
1	513443	<p>अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों के साथ अवार्ड की प्रति (during 26 to 28 december, 2020/ 12 july 2006/17.10.2000) उपलब्ध करायी गयी थी, जिसको विषय-विशेषज्ञों द्वारा सही नहीं माना गया है। अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 30.01.2023 के सापेक्ष पुनः उक्त अवार्ड की प्रति उपलब्ध करायी गयी है, जिसको विषय-विशेषज्ञों द्वारा पूर्व में सही नहीं माना गया था। अतः अवार्ड का दावा मान्य नहीं किया गया है। जिस कारण अवार्ड के 03 अंको को ए0पी0आई0 स्कोर से कम किया गया है।</p> <p>अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन दिनांक 04.12.2021 के अतिमहत्त्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु संख्या-13 के क्रम में विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार पी0एच0डी0 की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र अनर्हता सूची दिनांक 30.01.2023 के सापेक्ष उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं विषय-विशेषज्ञों द्वारा अवार्ड के दावे का सही नहीं माने जाने के कारण अभ्यर्थी का ए0पी0आई0 स्कोर 95 के स्थान पर 92 है। अनारक्षित श्रेणी की संशोधित कट-ऑफ 93 है। तदनुसार संशोधित कट-ऑफ में स्थान धारित न करने एवं पी0एच0डी0 के लिए यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने के कारण अभ्यर्थी को मा0 आयोग द्वारा अनर्ह घोषित किये जाने के पूर्व निर्णय को यथावत रखा गया है।</p>
2	513471	<p>अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 30.01.2023 के सापेक्ष प्रेषित प्रत्यावेदन के साथ अवार्ड की 03 प्रतियां उपलब्ध करायी गयी है, उनमें से 01 अवार्ड की प्रति (Research Excellence Award 2021) पूर्व में भी अभिलेखों के साथ प्रस्तुत की गयी थी, जिसको विषय-विशेषज्ञों द्वारा सही नहीं माना गया है। उक्त के अतिरिक्त अन्य 02 अवार्ड वर्ष 2022 के है, जो विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 के पश्चात का होने के कारण अवार्ड का दावा मान्य नहीं किया गया है, विषय-विशेषज्ञों द्वारा अवार्ड के 03 अंको को</p>

		<p>शून्य किया गया है।</p> <p>जिसके क्रम में विशेषज्ञों के परामर्श एवं अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर अभ्यर्थी का कुल ए0पी0आई0 स्कोर 95.5 के स्थान पर 92.5 है। संगीत विषय में शार्टलिस्टिंग परिणाम के क्रम में अनारक्षित श्रेणी की संशोधित कटऑफ 93 है। तदनुसार अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी की संशोधित कटऑफ कट ऑफ में स्थान धारित नहीं करने के कारण अभ्यर्थी को मा0 आयोग द्वारा अनर्ह घोषित किये जाने के पूर्व निर्णय को यथावत यथावत रखा गया है।</p>
3	513509	<p>अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन दिनांक 04.12.2021 के अतिमहत्त्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु संख्या-13 के क्रम में विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार पी0एच0डी0 की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र अनर्हता सूची दिनांक 30.01.2023 के सापेक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कारण ए0पी0आई0 स्कोर मानक के अनुसार 25 अंक की कटौती करने के उपरान्त अभ्यर्थी का ए0पी0आई0 स्कोर (97-25=72) है, जो अनारक्षित श्रेणी की संशोधित कट-ऑफ 93 से कम है। तदनुसार अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी की संशोधित कट-ऑफ में स्थान न धारित करने के कारण अभ्यर्थी को मा0 आयोग द्वारा अनर्ह घोषित किये जाने के पूर्व निर्णय को यथावत रखा गया है।</p>

## 2. बी0सी0ए0(B.C.A)

क्र0	अनु0	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)
1	520290	<p>अभ्यर्थी कम्प्यूटर साइंस एवं इंजी0 में एम0टेक उपाधि धारक है। उच्च शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 14.07.2022 में उक्त विषय को एम0सी0ए0 के समतुल्य नहीं माना गया है। जिसके क्रम में अभ्यर्थी को अनर्हता सूची दिनांक 30.01.2023 द्वारा अनर्ह किया गया था। उक्त के सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 30.01.2023 को प्रकाशित अनर्हता/अधिमाननी सूची के सापेक्ष कोई प्रत्यावेदन अन्तिम तिथि दिनांक 14.02.2023 तक प्रस्तुत नहीं किया गया है।</p> <p>अतः अभ्यर्थी प्रश्नगत विषय की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एम0सी0ए0 धारित न करने के कारण अभ्यर्थी को मा0 आयोग द्वारा अनर्ह घोषित किये जाने के पूर्व निर्णय को यथावत रखा गया है।</p>
2	520322	<p>अभ्यर्थी कम्प्यूटर साइंस एवं इंजी0 में एम0टेक उपाधि धारक है। उच्च शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 14.07.2022 में उक्त विषय को एम0सी0ए0 के समतुल्य नहीं माना गया है। जिसके क्रम में अभ्यर्थी को अनर्हता सूची दिनांक 30.01.2023 द्वारा अनर्ह किया गया था। उक्त के सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 30.01.2023 को प्रकाशित</p>

		<p>अनर्हता/अधिमानी सूची के सापेक्ष कोई प्रत्यावेदन अन्तिम तिथि दिनांक 14.02.2023 तक प्रस्तुत नहीं किया गया है।</p> <p>अतः अभ्यर्थी प्रश्नगत विषय की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एम0सी0ए0 धारित न करने के कारण अभ्यर्थी को मा0 आयोग द्वारा अनर्ह घोषित किये जाने के पूर्व निर्णय को यथावत रखा गया है।</p>
3	520370	<p>अभ्यर्थी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04.12.2021 के अतिमहत्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु संख्या-13 के क्रम में विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार पी0एच0डी0 की उपाधि संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है, अभ्यर्थी के पी0एच0डी0 स्कोर के 25 अंक को कम करते हुए अभ्यर्थी के कुल ए0पी0आई0 स्कोर (74-25=49) है, जो कि अनु0जाति0 संशोधित कट-ऑफ 58 से कम है। जिसके कारण अभ्यर्थी को मा0 आयोग द्वारा अनर्ह घोषित किये जाने के पूर्व निर्णय को यथावत रखा गया है।</p>
4	520435	<p>अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 30.01.2023 को प्रकाशित अनर्हता सूची के सापेक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 14.02.2023 तक कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में पी0एच0डी0 का दावा करते हुए ए0पी0आई0 स्कोर में 25 अंक प्राप्त किये गये हैं, परन्तु अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अभिलेखानुसार पी0एच0डी0 की उपाधि विज्ञापन की अंतिम तिथि 24.12.2021 के पश्चात् जनवरी, 2022 में धारित की गयी है। विज्ञापन की अंतिम तिथि तक पी0एच0डी0 उपाधि धारित न करने के कारण उक्त पी0एच0डी0 स्कोर के 25 अंक को कम करते हुए अभ्यर्थी के कुल ए0पी0आई0 स्कोर (73.33-25=48.33) है, जो कि अ0पी0वर्ग की कटआफ 59 से कम है। अतः अभ्यर्थी प्रश्नगत विषय हेतु विज्ञापन की अंतिम तिथि तक पी0एच0डी0 की उपाधि धारित न करने के कारण अभ्यर्थी को मा0 आयोग द्वारा अनर्ह घोषित किये जाने के पूर्व निर्णय को यथावत रखा गया है।</p>
5	520442	<p>अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 30.01.2023 को प्रकाशित अनर्हता सूची के सापेक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 14.02.2023 तक कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा पी0एच0डी0 की उपाधि विज्ञापन की अंतिम तिथि 24.12.2021 के पश्चात् धारित की गयी है। अभ्यर्थी द्वारा पी0एच0डी0 का दावा करते हुए ए0पी0आई0 स्कोर में 25 अंक प्राप्त किये गये हैं, जिसके क्रम में अभ्यर्थी का ए0पी0आई0 स्कोर 91 के स्थान पर 66 है। बी0सी0ए0 विषय में अनारक्षित श्रेणी की संशोधित कटऑफ 90 है। तदक्रम में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने एवं कटऑफ में स्थान धारित न करने के कारण अभ्यर्थी को मा0 आयोग द्वारा अनर्ह घोषित किये जाने के पूर्व निर्णय को यथावत रखा गया है।</p>

### 3.चित्रकला (Drawing and Painting),

क्र०	अनु०	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)
1.	513993	अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 30.01.2023 को प्रकाशित अनर्हता/अधिमानी सूची के सापेक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 14.02.2023 तक कोई अभिलेख/प्रत्यावेदन उपलब्ध न कराये जाने के कारण मा० आयोग के अनर्हता संबंधी पूर्व निर्णय को यथावत रखते हुए अभ्यर्थी को <b>अनर्ह घोषित किया गया है।</b>
2.	514076	अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 30.01.2023 को प्रकाशित अनर्हता/अधिमानी सूची के सापेक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 14.02.2023 तक कोई अभिलेख/प्रत्यावेदन उपलब्ध न कराये जाने के कारण मा० आयोग के अनर्हता संबंधी पूर्व निर्णय को यथावत रखते हुए अभ्यर्थी को <b>अनर्ह घोषित किया गया है।</b>
3.	514147	अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 30.01.2023 को प्रकाशित अनर्हता/अधिमानी सूची के सापेक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 14.02.2023 तक कोई अभिलेख/प्रत्यावेदन उपलब्ध न कराये जाने के कारण मा० आयोग के अनर्हता संबंधी पूर्व निर्णय को यथावत रखते हुए अभ्यर्थी को <b>अनर्ह घोषित किया गया है।</b>
4.	514174	अभ्यर्थी द्वारा शार्टलिस्टिंग परिणाम दिनांक 13.04.2022 के क्रम में अभिलेखों के साथ रिसर्च पब्लिकेशन एवं अवार्ड की प्रति उपलब्ध करायी गयी थी, जिसको परीक्षणोपरान्त विषय-विशेषज्ञों द्वारा सही नहीं माना गया था। अनर्हता के सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा अन्य कोई रिसर्च पब्लिकेशन उपलब्ध नहीं कराया गया है। अभ्यर्थी के ए०पी०आई० स्कोर 94 में से रिसर्च पब्लिकेशन के 06 अंक एवं अवार्ड के 03 अंकों को कम करते हुए ए०पी०आई० स्कोर 94 के स्थान पर 85 है, चित्रकला विषय में शार्टलिस्टिंग परिणाम के क्रम में अनारक्षित श्रेणी की संशोधित कटऑफ 89 है। तदनुसार संशोधित कटऑफ में स्थान धारित न करने के कारण अभ्यर्थी को <b>मा० आयोग द्वारा अनर्ह घोषित किये जाने के पूर्व निर्णय को यथावत रखा गया है।</b>
5.	514208	अभ्यर्थी द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 30 जनवरी, 2023 को प्रकाशित अनर्ह सूची के सापेक्ष प्रत्यावेदन के साथ शिक्षण अनुभव के संबंध में कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। शार्टलिस्टिंग परिणाम दिनांक 13.04.2022 के क्रम में प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण में विषय-विशेषज्ञों द्वारा शिक्षण अनुभव के 04 अंक के दावे के स्थान पर 03 अंक के दावे को सही माना गया है। उपरोक्त के क्रम में अभ्यर्थी का कुल ए०पी०आई० स्कोर 58 के स्थान पर 57 है। अतः चित्रकला विषय में अ०पी०व० हेतु शार्टलिस्टिंग परिणाम की कटऑफ 58 में स्थान धारित न करने के कारण अभ्यर्थी को <b>मा० आयोग द्वारा अनर्ह घोषित किये जाने के पूर्व निर्णय को यथावत रखा गया है।</b>

### 4. भूगर्भ विज्ञान (Geology)

क्र०	अनु०	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)
1.	513951	अभ्यर्थी द्वारा API स्कोर के अन्तर्गत रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग/पोस्ट डॉक्टरल अनुभव से संबंधित अभिलेखों को 30 जनवरी, 2023 विज्ञप्ति के सापेक्ष अन्तिम तिथि दिनांक 14.02.2023 तक कोई अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के कारण एवं शार्टलिस्टिंग परिणाम में अनारक्षित श्रेणी की संशोधित कटऑफ 89 में स्थान धारित न करने के कारण मा० आयोग के अनर्हता संबंधी पूर्व निर्णय को यथावत रखते हुए अभ्यर्थी को <b>अनर्ह घोषित किया गया है।</b>

2.	513800	अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 30.01.2023 को प्रकाशित अनर्हता सूची के सापेक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 14.02.2023 तक कोई अभिलेख/प्रत्यावेदन उपलब्ध न कराये जाने के कारण मा0 आयोग के अनर्हता संबंधी पूर्व निर्णय को यथावत रखते हुए अभ्यर्थी को <b>अनर्ह घोषित किया गया है।</b>
3.	513833	अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 30.01.2023 को प्रकाशित अनर्हता/अधिमानी सूची के सापेक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 14.02.2023 तक कोई अभिलेख/प्रत्यावेदन उपलब्ध न कराये जाने के कारण मा0 आयोग के अनर्हता संबंधी पूर्व निर्णय को यथावत रखते हुए अभ्यर्थी को <b>अनर्ह घोषित किया गया है।</b>
4.	513914	अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 30.01.2023 को प्रकाशित अनर्हता/अधिमानी सूची के सापेक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 14.02.2023 तक कोई अभिलेख/प्रत्यावेदन उपलब्ध न कराये जाने के कारण मा0 आयोग के अनर्हता संबंधी पूर्व निर्णय को यथावत रखते हुए अभ्यर्थी को <b>अनर्ह घोषित किया गया है।</b>
5.	513959	अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 30.01.2023 को प्रकाशित अनर्हता/अधिमानी सूची के सापेक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 14.02.2023 तक कोई अभिलेख/प्रत्यावेदन उपलब्ध न कराये जाने के कारण मा0 आयोग के अनर्हता संबंधी पूर्व निर्णय को यथावत रखते हुए अभ्यर्थी को <b>अनर्ह घोषित किया गया है।</b>

### 5. शिक्षाशास्त्र (Education)

क्र0	अनु0	कार्यालय टीप
(1)	(2)	(3)
1.	511636	अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 30.01.2023 को प्रकाशित अनर्हता सूची के सापेक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 14.02.2023 तक कोई अभिलेख/प्रत्यावेदन उपलब्ध न कराये जाने के कारण मा0 आयोग के अनर्हता संबंधी पूर्व निर्णय को यथावत रखते हुए अभ्यर्थी को <b>अनर्ह घोषित किया गया है।</b>
2.	511667	अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन के साथ उपलब्ध कराये गये टीचिंग/पोस्ट डॉक्टरल अनुभव एवं अवार्ड से संबंधित अभिलेख अनर्हता सूची जारी होने से पूर्व विज्ञप्ति दिनांक 30 जनवरी, 2023 के सापेक्ष उपलब्ध कराये गये पूर्व अभिलेखों के समान है तथा वांछित नवीन अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन के साथ जो अभिलेख उपलब्ध कराये गये है उनका परीक्षण विषय-विशेषज्ञों द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका है जिसके अन्तर्गत शिक्षण/पोस्ट डॉक्टरल अनुभव के लिए किये गये अभ्यर्थी के दावे को सही नहीं माना गया। अभ्यर्थी का कुल ए0पी0आई0 स्कोर 94 के स्थान पर 87 है। शिक्षाशास्त्र विषय में शार्टलिस्टिंग परिणाम के क्रम में अनारक्षित श्रेणी की संशोधित कटऑफ 93 है। अतः शिक्षाशास्त्र विषय में अनारक्षित श्रेणी की संशोधित कटऑफ में स्थान धारित न करने के कारण मा0 आयोग के अनर्हता संबंधी पूर्व निर्णय को यथावत रखते हुए अभ्यर्थी को <b>अनर्ह घोषित किया गया है।</b>
3.	511695	अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 30.01.2023 को प्रकाशित अनर्हता/अधिमानी सूची के सापेक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 14.02.2023 तक कोई अभिलेख/प्रत्यावेदन उपलब्ध न कराये जाने के कारण मा0 आयोग के अनर्हता संबंधी पूर्व निर्णय को यथावत रखते हुए अभ्यर्थी को <b>अनर्ह घोषित किया गया है।</b>

4.	511854	अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 30.01.2023 को प्रकाशित अनर्हता/अधिमानी सूची के सापेक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 14.02.2023 तक कोई अभिलेख/प्रत्यावेदन उपलब्ध न कराये जाने के कारण मा0 आयोग के अनर्हता संबंधी पूर्व निर्णय को यथावत रखते हुए अभ्यर्थी को <b>अनर्ह घोषित किया गया है।</b>
5.	511988	अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 30.01.2023 को प्रकाशित अनर्हता/अधिमानी सूची के सापेक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 14.02.2023 तक कोई अभिलेख/प्रत्यावेदन उपलब्ध न कराये जाने के कारण मा0 आयोग के अनर्हता संबंधी पूर्व निर्णय को यथावत रखते हुए अभ्यर्थी को <b>अनर्ह घोषित किया गया है।</b>
6.	512025	<p>अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये रिसर्च पब्लिकेशन से संबंधित अभिलेख अनर्हता सूची जारी होने से पूर्व विज्ञप्ति दिनांक 30 जनवरी, 2023 के सापेक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के समान है तथा प्रत्यावेदन के साथ वांछित नवीन अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन के साथ जो अभिलेख उपलब्ध कराये गये हैं उनका परीक्षण विषय-विशेषज्ञों द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका है जिसके अन्तर्गत रिसर्च पब्लिकेशन के लिए किये गये अभ्यर्थी के दावे को सही नहीं माना गया है, इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध करायी गयी बी0एड0 की प्रोविजनल उपाधि स्नातक के रूप में ए0पी0आई0 के लिए अनुमन्य नहीं है। जिस कारण अभ्यर्थी के ए0पी0आई0 में स्नातक के अंक अनुमन्य नहीं है।</p> <p>अतः वांछित स्नातक उपाधि उपलब्ध न कराये जाने के कारण तथा बी0एड0 की प्रोविजनल उपाधि के सापेक्ष प्राप्त अंक स्नातक के रूप में अनुमन्य न किये जाने के कारण मा0 आयोग के अनर्हता संबंधी पूर्व निर्णय को यथावत रखते हुए अभ्यर्थी को <b>अनर्ह घोषित किया गया है।</b></p>
7.	512071	<p>अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 30.01.2023 के सापेक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर बी0एड0 के अंक स्नातक के रूप में ए0पी0आई0 के लिए अनुमन्य करते हुए साक्षात्कार हेतु अर्ह किये जाने का अनुरोध किया गया है। बी0एड0 के अंक स्नातक के रूप में ए0पी0आई0 के लिए अनुमन्य नहीं हैं, अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची के सापेक्ष स्नातक (बी0एस0सी0) की अंकतालिका तथा उपाधि संलग्न की है, अंकतालिका के आधार पर अभ्यर्थी को प्राप्त कुल 50.53 प्रतिशत के सापेक्ष ए0पी0आई0 स्कोर 55 प्रतिशत से नीचे होने के कारण कुल 10 अंक प्राप्त होंगे। उपरोक्त के क्रम में अभ्यर्थी को ए0पी0आई0 स्कोर में बी.एड. के 19 अंक के स्थान पर स्नातक हेतु यू0जी0सी0 की ए0पी0आई0 तालिका में 10 अंक प्राप्त होने के सापेक्ष ए0पी0आई0 स्कोर 91 के स्थान पर 82 अंक प्राप्त होंगे।</p> <p>अतः शिक्षाशास्त्र विषय में शार्टलिस्टिंग परिणाम के क्रम में ओ0बी0सी0 श्रेणी की संशोधित कटऑफ 85 में स्थान धारित न किये जाने के कारण मा0 आयोग के अनर्हता संबंधी पूर्व निर्णय को यथावत रखते हुए अभ्यर्थी को <b>अनर्ह घोषित किया गया है।</b></p>
8.	512137	अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 30.01.2023 को प्रकाशित अनर्हता/अधिमानी सूची के सापेक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 14.02.2023 तक कोई अभिलेख/प्रत्यावेदन उपलब्ध न कराये जाने के कारण मा0 आयोग के अनर्हता संबंधी

		पूर्व निर्णय को यथावत रखते हुए अभ्यर्थी को <b>अनर्ह घोषित किया गया है।</b>
9.	512273	अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 30.01.2023 के सापेक्ष वांछित अभिलेखों के स्थान पर पूर्व प्रेषित अभिलेखों को ही पुनः उपलब्ध कराया गया है, जिसके सापेक्ष मा0 आयोग द्वारा अपने पूर्व निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को <b>अनर्ह घोषित किया गया है।</b>
10.	512329	अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर ए0पी0आई0 स्कोर में बी.एड. के 19 अंक के स्थान पर स्नातक हेतु यू0जी0सी0 की ए0पी0आई0 तालिका में 10 अंक प्राप्त होने के सापेक्ष ए0पी0आई0 स्कोर 96 के स्थान पर 84 अंक प्राप्त होंगे। अतः शिक्षाशास्त्र विषय में शार्टलिस्टिंग परिणाम के क्रम में अनारक्षित श्रेणी की संशोधित कटऑफ 93 है। अतः अनारक्षित श्रेणी की संशोधित कटऑफ में स्थान धारित न करने के कारण मा0 आयोग द्वारा अपने पूर्व निर्णय को यथावत् रखते हुए अभ्यर्थी को <b>अनर्ह घोषित किया गया है।</b>
11.	512335	अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता सूची दिनांक 30.01.2023 के सापेक्ष प्रस्तुत प्रत्यावेदन के साथ पी0एच0डी0 की उपाधि विज्ञापन की अंतिम तिथि 24.12.2021 के पश्चात् दिनांक 27.05.2022 की है। विज्ञापन की शर्तानुसार अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता विज्ञापन की अंतिम तिथि तक धारित नहीं करने के कारण मा0 आयोग के अनर्हता संबंधी पूर्व निर्णय को यथावत रखते हुए अभ्यर्थी को <b>अनर्ह घोषित किया गया है।</b>
12.	512337	अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 30.01.2023 को प्रकाशित अनर्हता सूची के सापेक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थी के बी.एड. के 19 अंक के स्थान पर स्नातक (बी0कॉम0) हेतु यू0जी0सी0 की ए0पी0आई0 तालिका में 54.96 प्रतिशतता के आधार पर 10 अंक प्राप्त होने के सापेक्ष ए0पी0आई0 स्कोर 93 में से 09 अंक कम होने के कारण अभ्यर्थी का कुल ए0पी0आई0 स्कोर 84 है। अतः शिक्षाशास्त्र विषय में शार्टलिस्टिंग परिणाम के क्रम में ओ0बी0सी0 श्रेणी की संशोधित कटऑफ 85 में स्थान धारित न करने के कारण मा0 आयोग के अनर्हता संबंधी पूर्व निर्णय को यथावत रखते हुए अभ्यर्थी को <b>अनर्ह घोषित किया गया है।</b>
13.	512400	अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 30.01.2023 को प्रकाशित अनर्हता/अधिमानि सूची के सापेक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 14.02.2023 तक कोई अभिलेख/प्रत्यावेदन उपलब्ध न कराये जाने के कारण मा0 आयोग के अनर्हता संबंधी पूर्व निर्णय को यथावत रखते हुए अभ्यर्थी को <b>अनर्ह घोषित किया गया है।</b>
14.	512417	अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 30.01.2023 को प्रकाशित अनर्हता/अधिमानि सूची के सापेक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 14.02.2023 तक कोई अभिलेख/प्रत्यावेदन उपलब्ध न कराये जाने के कारण मा0 आयोग के अनर्हता संबंधी

		पूर्व निर्णय को यथावत रखते हुए अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया गया है।
15.	512420	अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 30.01.2023 को प्रकाशित अनर्हता/अधिमानी सूची के सापेक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 14.02.2023 तक कोई अभिलेख/प्रत्यावेदन उपलब्ध न कराये जाने के कारण मा0 आयोग के अनर्हता संबंधी पूर्व निर्णय को यथावत रखते हुए अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया गया है।
16.	512532	अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 30.01.2023 को प्रकाशित अनर्हता सूची के सापेक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 14.02.2023 तक कोई अभिलेख/प्रत्यावेदन उपलब्ध न कराये जाने के कारण मा0 आयोग के अनर्हता संबंधी पूर्व निर्णय को यथावत रखते हुए अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया गया है।

**Sd/-**  
(गिरधारी सिंह रावत)  
सचिव